भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1077

02.12.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप

1077. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा में 20-30 प्रतिशत की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम द्वारा निर्धारत लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि यह कार्यक्रम किसी विनिर्दिष्ट दांडिक कार्रवाई के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में विशेषकर कर्नाटक राज्य में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप के लिए बेहतर प्रवर्तनीय अधिदेश स्थापित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री;
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : सरकार ने राष्ट्रीय**,** राज्य और शहर स्तरीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से देश भर में मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले शहरों/दस लाख से अधिक आबादी वाले लक्षित 130 शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। एनसीएपी में वर्ष 2024 तक आधार वर्ष 2017 की तुलना में विविक्त कणों की सांद्रता में 20-30% की कमी लाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2025-26 तक पीएम$_{10}$ के स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों **(**60 µg/m3) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले शहरों की पहचान पीएम$_{10}$ के स्तर पर आधारित थी। पीएम$_{2.5}$**,** जो पीएम$_{10}$ का एक उपसमूह है**,** पीएम$_{10}$ के नियंत्रण के उद्देश्य से की गई कार्रवाइयों से भी कुछ सीमा तक कम हो जाता है। इसके अलावा**,** बीएस-**VI** ईंधन मानदंड**,** स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक एवं ई-अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संरचना जैसी पहल पीएम$_{2.5}$ में कमी लाने में योगदान करती हैं।

सीपीसीबी ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के अंतर्गत कर्नाटक सहित 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले शहरों तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले लक्षित 130 शहरों के लिए अनुमोदित शहरी कार्य योजना के बुनियादी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए है। इसके अलावा, मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले 82 शहरों के मामले में लक्षित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), संबंधित एसपीसीबी और सीपीसीबी, लक्षित यूएलबी, संबंधित राज्य सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के बीच शहर विशेष कार्य योजना को लागू करने

और एनसीएपी के हिस्से के रूप में निर्धारित वायु प्रदूषण में कमी करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किए गए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के अनुसार, 97 शहरों ने वर्ष 2017-18 के स्तर की तुलना में वर्ष 2023-24 में पीएम$_{10}$ के स्तर में कमी का लक्ष्य प्राप्त किया है। 55 शहरों ने वर्ष 2017-18 के स्तर की तुलना में वर्ष 2023-24 में पीएम$_{10}$ के स्तर में 20% और उससे अधिक की कमी का लक्ष्य प्राप्त किया है। 18 शहरों ने वर्ष 2023-24 में पीएम$_{10}$ के स्तर संबंधी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है। एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

एनसीएपी एक बहु-क्षेत्रीय पहल है जिसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। यह शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से स्रोत-विशिष्ट उपशमन उपायों पर बल देता है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएपी विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), पीएम ई-बस सेवा, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, सतत और नगर वन योजना के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से शहरी कार्य योजना (सीएपी) के कार्यान्वयन पर बल देता है।

एनसीएपी के अंतर्गत सभी शहरों ने एनसीएपी के उद्देश्यों के अनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरी कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इसके अलावा, 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनसीएपी के अंतर्गत कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 तक 130 शहरों को 19,614 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

एनसीएपी के अंतर्गत कार्य योजनाओं की प्रगति के आवधिक समन्वय, समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं:

क. राष्ट्रीय स्तर

(i) शीर्ष समिति
(ii) संचालन समिति
(iii) निगरानी समिति
(iv) कार्यान्वयन समिति

ख. राज्य स्तर

(i) संचालन समिति
(ii) कार्यान्वयन समिति

ग. शहर स्तर

(i) शहर स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति

इसके अलावा, स्थानीय तकनीकी क्षमता का निर्माण करने और एनसीएपी के तहत गतिविधियों में सहायता करने के लिए संस्थानों का एक बड़ा समूह बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) स्थापित किया गया है। शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए यूएलबी को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित

संस्थानों को शहरों का कार्य सौंपा गया है। शहरी कार्य योजनाओं को निष्पादित करने के लिए यूएलबी की सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू) स्थापित की गई हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए "प्राण" नामक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर शहरों, राज्यों और संबंधित मंत्रालयों की कार्ययोजनाएँ अपलोड की जाती हैं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी की जाती है। यह पोर्टल एनसीएपी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, शहरों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

एनसीएपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (एक्यूएमसी), चार शहरों अर्थात् बेंगलुरु, गुलबर्गा, हुबली-धारवाड़ और दावणगेरे के लिए शहर स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को 597.52 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

*****

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 130 शहरों में पीएम10 सांद्रता में सुधार				
क्र. सं.	**शहर**	**वर्ष 2017-18 में पीएम10 सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)**	**वर्ष 2023-24 में पीएम10 सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)**	**वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2023-24 में पीएम10 सांद्रता में कमी का प्रतिशत (%)**
1.	वाराणसी	230	73	68
2.	बरेली	207	80	61
3.	फिरोजाबाद	247	102	59
4.	देहरादून	250	109	56
5.	धनबाद	315	138	56
6.	तूतीकोरिन	123	57	54
7.	नालागढ़	146	68	53
8.	मुरादाबाद	222	115	48
9.	खुर्जा	195	104	47
10.	त्रिची	88	47	47
11.	कोहिमा	127	68	46
12.	लखनऊ	253	137	46
13.	कानपुर	227	125	45
14.	कडापा	75	42	44
15.	शिवसागर	73	41	44
16.	सुन्दर नगर	78	44	44
17.	आगरा	202	116	43
18.	ग्रेटर मुंबई	161	94	42
19.	ऋषिकेश	129	76	41
20.	परवाणू	66	39	41
21.	बर्नीहाट	175	104	41
22.	अहमदाबाद	164	98	40
23.	गाजियाबाद	285	172	40
24.	राजकोट	150	92	39
25.	जालंधर	178	111	38
26.	रायबरेली	145	91	37
27.	अमृतसर	189	119	37
28.	बद्दी	174	111	36
29.	कोलकाता	147	94	36
30.	जम्मू	157	101	36

31.	सिलचर	49	32	35
32.	जोधपुर	189	124	34
33.	विजयवाड़ा	91	61	33
34.	नया नांगल	87	59	32
35.	दीमापुर	142	97	32
36.	खन्ना	142	100	30
37.	दुर्गापुर	150	106	29
38.	कुरनूल	79	56	29
39.	डेरा बाबा नानक	79	56	29
40.	वडोदरा	133	95	29
41.	इलाहाबाद	169	124	27
42.	आसनसोल	147	108	27
43.	श्रीनगर	132**	96	27
44.	हैदराबाद	110	81	26
45.	गोरखपुर	150	111	26
46.	अनंतपुर	78	59	24
47.	रांची	141	107	24
48.	बेंगलुरु	92	70	24
49.	अकोला	111	85	23
50.	दुर्ग भिलाईनगर	86	68	21
51.	सूरत	130	103	21
52.	नोएडा	229	182	21
53.	हावड़ा	139	111	20
54.	थाइन	138	111	20
55.	लातूर	82	66	20
56.	नेल्लोर	64	52	19
57.	गजरौला	204	167	18
58.	फरीदाबाद	229**	190	17
59.	अलवर	152	127	16
60.	चित्तूर	70	59	16
61.	काला अम्ब	118	100	15
62.	मंडी गोविंदगढ़	148	126	15
63.	अमरावती	102	87	15
64.	पटियाला	106	91	14
65.	जयपुर	172	148	14
66.	ओंगोल	65	56	14
67.	दिल्ली	241	208	14
68.	चंद्रपुर	118	102	14
69.	नासिक	82	72	12

70.	झांसी	109	96	12
71.	सांगली	87	77	11
72.	देवनागरी	74	66	11
73.	कोटा	139	124	11
74.	राजमुंदरी	85	76	11
75.	हुबली -धारवाड़	79	71	10
76.	जबलपुर	101	91	10
77.	उज्जैन	93	84	10
78.	गुंटूर	66	61	8
79.	कलिंग नगर	109	101	7
80.	मेरठ	159	149	6
81.	नागपुर	100	94	6
82.	एलुरु	72	68	6
83.	मदुरै	72	68	6
84.	दमताल	55	52	5
85.	हल्दिया	92	87	5
86.	अनपरा	175	166	5
87.	बदलापुर	160	152	5
88.	उदयपुर	127	121	5
89.	संगारेड्डी	85	81	5
90.	चेन्नई	66	63	5
91.	लुधियाना	168	161	4
92.	पुणे	102	98	4
93.	जमशेदपुर	135	130	4
94.	कोल्हापुर	89	86	3
95.	उल्हासनगर	153	149	3
96.	श्रीकाकुलम	69	68	1
97.	काशीपुर	99	98	1
98.	तालचेर	113	113	0
99.	नलगोंडा	59	59	0
100.	भोपाल	112	113	-1
101.	सागर	73	74	-1
102.	विजयनगरम	72	73	-1
103.	चंडीगढ़	114	116	-2
104.	गुलबर्गा	55	56	-2
105.	जलना	99	102	-3
106.	पटना	172	178	-3
107.	कोरबा	57	59	-4
108.	पौंटा साहिब	84	90	-7

109.	ग्वालियर	126	136	-8
110.	रायपुर	70	76	-9
111.	नवी मुंबई	88	98	-11
112.	राउरकेला	99	111	-12
113.	मुजफ्फरपुर	147	168	-14
114.	बैरकपुर	86	99	-15
115.	गुवाहाटी	103	119	-16
116.	डेरा बस्सी	88	102	-16
117.	सोलापुर	81	96	-19
118.	देवास	83	99	-19
119.	इंदौर	82	99	-21
120.	वसई विरार	99	125	-26
121.	नगांव	82	107	-30
122.	औरंगाबाद	75	98	-31
123.	गया	79	104	-32
124.	भुवनेश्वर	85	114	-34
125.	जलगांव	70	97	-39
126.	कटक	93	129	-39
127.	नलबाड़ी	87	127	-46
128.	बालासोर	84	124	-48
129.	विशाखापत्तनम	76	120	-58
130.	अंगुल	97	167	-72

** फ़रीदाबाद और श्रीनगर के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के पीएम10 स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फ़रीदाबाद के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पीएम10 स्तर और श्रीनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के पीएम10 स्तर को आधार वर्ष माना गया है।

* मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले पटनचेरू शहर को हैदराबाद शहरी समूह के साथ विलय कर दिया गया है और तदनुसार एनसीएपी के तहत शामिल किए गए शहरों की संशोधित संख्या 130 है।

*****